अनुदान संख्या 29 – आर्थिक कार्य विभाग
GRANT No. 29 - DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	4871,23,00		4874,29,00	2810,53,93	-2063,75,07
पूरक	Supplementary	3,06,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1728,04,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	13458,23,00		26936,65,00	20139,65,21	-6796,99,79
पूरक	Supplementary	13478,42,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2310,50,53

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹206375.07 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹306.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 42 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹206375.07 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹306.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018, and February, 2019 and constituted 42 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2052”	Major head “2052”				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services				
मू.	O.	23986.00	13942.59	12885.22	-1057.37
पु.	R.	-10043.41			
मुख्य शीर्ष “2070”	Major head “2070”				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	4346.00	3593.70	2868.68	-725.02
पु.	R.	-752.30			
मुख्य शीर्ष “2075”	Major head “2075”				
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services				
मू.	O.	80002.00	60003.00	60002.47	-0.53
पु.	R.	-19999.00			
मुख्य शीर्ष “2250”	Major head “2250”				
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services				
पू.	S.	1.00	8162.00	8162.00	..
पु.	R.	8161.00			
मुख्य शीर्ष “2416”	Major head “2416”				
कृषि वित्तीय संस्थाएं	Agricultural Financial Institutions				
पू.	S.	2.00	10220.00	9881.86	-338.14
पु.	R.	10218.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3465" सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाएं	Major Head "3465" General Financial and Trading Institutions					
मू.	O.	199999.00				
पू.	S.	1.00		31.00	..	-31.00
पु.	R.	-199969.00				
मुख्य शीर्ष "3466" अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	Major Head "3466" International Financial Institutions					
मू.	O.	53559.00				
पू.	S.	297.00		52569.37	52546.74	-22.63
पु.	R.	-1286.63				
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services					
मू.	O.	43871.00				
पू.	S.	3.00		66822.03	58338.92	-8483.11
पु.	R.	22948.03				
मुख्य शीर्ष "3605" अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Major Head "3605" Technical and Economic Co-operation with Other Countries					
मू.	O.	79704.00				
पू.	S.	2.00		97845.11	75196.24	-22648.87
पु.	R.	18139.11				

(I) ₹223236.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) इक्कीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹222795.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹223236.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under twenty one heads; of these ₹222795.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2075" – "अन्य व्यय – डेबिट कार्डों के जरिए धन एकत्र करने में आई लागत" – ₹20000.00 लाख – इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निधियों का अंतरण करने के कारण।

(A) Major Head "2075"- "Other Expenditure – Cost incurred on collection of money through Debit cards" - ₹20000.00 lakhs - due to transfer of fund to Ministry of Electronics and Information Technology.

(खा) मुख्य शीर्ष "3465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाएं" –

(क) "सामान्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता – राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि लिमिटेड" – ₹6000.00 लाख; और

(ख) "आरक्षित निधि को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि को अंतरण" – ₹193999.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत स्कीम का अंतरण राजस्व से पूंजीगत को किए जाने के कारण हुई।

(B) Major Head "3465" – "General Financial Institutions" -

(a) "Assistance to General Financial Institutions - National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIF)" - ₹6000.00 lakhs; and

(b) "Transfer to Reserve Fund – Transfer to National Investment and Infrastructure Fund (NIIF)" - ₹193999.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to transfer of scheme from Revenue to Capital.

(गा) मुख्य शीर्ष "3466" – "विश्व बैंक – क्लाइमेट एक्शन पीयर एक्सचेंज को अंशदान" – ₹1296.00 लाख – सीएपीई प्रस्ताव के अब भी आरंभिक चरण में होने तथा प्रवर्तन निदेशालय से कोई अन्य सूचना न प्राप्त होने के कारण।

(C) Major Head "3466"-"World Bank – Contribution to Climate Action Peer Exchange (CAPE)" - ₹1296.00 lakhs - due to CAPE proposal still at initial stage and no further information received from Enforcement Directorate.

(घा) मुख्य शीर्ष "3475" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग" – ₹1500.00 लाख – पहली किस्त का उपयोग न होने के कारण दूसरी किस्त जारी न किए जाने के कारण।

(D) Major Head "3475"- "International Cooperation – Technical Co-operation with African Development Bank" – ₹1500.00 lakhs – due to non-release of second installment owing to non-utilisation of first installment.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "2052" –"Secretariat"- savings occurred under the following heads:-

(का) "आर्थिक कार्य विभाग" – ₹10237.33 लाख की बचत (₹22665.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कॉनक्लेव के स्थगित होने, विज्ञापन तथा प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे, व्यावसायिक सेवाओं, प्रकाशनों के लिए

(A) "Department of Economic Affairs" - saving of ₹10237.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22665.00 lakhs) was due to postponement of Economic Conclave, requirement of less funds towards advertisement and publicity, international

कम निधियों की आवश्यकता तथा विदेश मंत्रालय से कम दावे प्राप्त होने कारण हुई।

litigation, professional services, publications and receipt of less claims from Ministry of External Affairs.

(खा) "ऋण प्रबंधन कार्यालय" – ₹538.15 लाख की बचत (₹594.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा किफायत उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) "Debt Management Office" – saving of ₹538.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹594.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards professional services and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2070" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(III) Under Major Head "2070" – savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – सुरक्षा अपीलीय अधिकरण" – ₹651.63 लाख की बचत (₹1146.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, किए जाने वाले दौरों तथा कार्यालय के नवीनीकरण को मूर्त रूप न दिए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - Security Appellate Tribunal"- saving of ₹651.63lakhs (against the sanctioned provision of ₹1146.00 lakhs) was due to non -filling up of vacant posts, requirement of less funds towards medical reimbursement claims, less tours undertaken and non-materialisation of renovation of office.

(खा) "विशेष जांच आयोग – पन्द्रहवां वित्त आयोग" – ₹825.69 लाख की बचत (₹3200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यावसायिक सेवाओं, अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(B) "Special Commission of Enquiry - Fifteenth Finance Commission" - saving of ₹825.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3200.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards professional services, other administrative services and less tours undertaken

(IV) मुख्य शीर्ष "3475" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(IV) Under Major Head "3475" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – अवसंरचना विकास व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के लिए सहायता" – ₹2593.45 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹15000.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(A) "Financial Support for Infrastructure Development – Assistance for Infrastructure Development Viability Gap Funding" – saving of ₹2593.45 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15000.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) was due to slow progress of work.

(खा) "अन्य व्यय – भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण" – ₹1200.31 लाख की बचत (₹2300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure – Training of Indian Economic Service Officers" - saving of ₹1200.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs) was due to conduction of less training programmes.

(V) मुख्य शीर्ष "3605" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(का) "अन्य देशों के साथ सहयोग–भारतीय कंपनियों को ब्याज समकरण सहायता" – ₹2716.57 लाख की बचत (₹4440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक – एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की वार्षिक बैठक के आयोजन पर व्यय" – ₹3184.58 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य को पूरा करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹462.92 लाख की बचतें हुईं, जो स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹39904.95 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अतंर्गत ₹7.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(I) मुख्य शीर्ष "2250" – "आरक्षित निधि को अंतरण – वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि को अंतरण" – ₹8161.00 लाख।

(II) मुख्य शीर्ष "2416" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – कृषि विकास निधि हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि को अंशदान" – ₹10218.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹9879.86 लाख था।

(III) मुख्य शीर्ष "3475" –

(का) "स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम, 2015 के लिए कमीशन – कमीशन की अदायगी" – ₹1249.80 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1230.23 लाख था।

(V) Under Major Head "3605" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Co-operation with other countries - Interest Equalisation support for Indian Companies"- saving of ₹2716.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4440.00 lakhs) was due to receipt of less claims.

(B) "International Conference/Meeting - Expenditure towards organising Annual meeting of Asian Infrastructure Investment Bank" - saving of ₹3184.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards completion of work.

(VI) Under one head saving of ₹462.92 lakhs occurred constituting 29 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹39904.95 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹7.00 lakhs in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 - under the following major heads:-

(I) Major Head "2250" – "Transfer to Reserve Fund – Transfer to Senior Citizen Welfare Fund" – ₹8161.00 lakhs.

(II) Major Head "2416" - "International Co-operation – Contribution to International Fund for Agriculture Development Fund (IFAD)" – ₹10218.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9879.86 lakhs.

(III) Major Head "3475" -

(A) "Commission for Gold Monetization Scheme 2015 - Commission Payment" – ₹1249.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹1230.23 lakhs.

(खा) "आरक्षित निधि को अंतरण – स्वर्ण आरक्षित निधि" – ₹17874.65 लाख।

(B) "Transfer to Reserve Fund – Gold Reserve Fund" – ₹17874.65 lakhs.

(गा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि को अंशदान" – ₹775.88 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹775.87 लाख था।

(C) "International Co-operation - Contribution to Commonwealth Fund for Technical Cooperation"- ₹775.88 lakhs. Actual excess, however, was ₹775.87 lakhs.

(IV) मुख्य शीर्ष "3605" –

(IV) Major Head "3605" –

(का) "वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि को अंशदान – वैश्विक पर्यावरण सुविधा को अंशदान" – ₹626.62 लाख।

(A) "Contribution to Global Environment Trust Fund - Contribution for Global Environment Facility" – ₹626.62 lakhs.

(खा) "अन्य व्यय – भारत–जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग" – ₹999.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹980.88 लाख था।

(B) "Other Expenditure – Indo-German Bilateral Development Co-operation" – ₹999.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹980.88 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹679699.79 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1347842.00 लाख के पूरक अनुदानों का 50 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹679699.79 lakhs) constituted 50 percent of the supplementary grants of ₹1347842.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and 25 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4046"	Major Head "4046"				
मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint				
मू.	O.	280000.00			
पू.	S.	320000.00	460000.00	444701.86	-15298.14
पु.	R.	-140000.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4058"	Major Head "4058"				
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Stationery and Printing				
मू.	O.	1000.00	..	..	..
पु.	R.	-1000.00			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	4000.00	100.00	..	-100.00
पु.	R.	-3900.00			
मुख्य शीर्ष "5465"	Major Head "5465"				
सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं में निवेश	Investment in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	200001.00			
पू.	S.	100001.00	320001.00	119629.11	-200371.89
पु.	R.	19999.00			
मुख्य शीर्ष "5466"	Major Head "5466"				
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Investment in International Financial Institutions				
मू.	O.	436753.00			
पू.	S.	927836.00	1432005.75	1427565.72	-4440.03
पु.	R.	67416.75			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	309069.00	226404.45	580.80	-225823.65
पु.	R.	-82664.55			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "7465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं के लिए ऋण	Major Head "7465" Loans for General Financial and Trading Institutions				
पू.	S.	1.00	2076.00	2067.68	-8.32
पु.	R.	2075.00			
मुख्य शीर्ष "7466" अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऋण	Major Head "7466" Loans to International Financial Institutions				
पू.	S.	2.00	3600.00	3556.21	-43.79
पु.	R.	3598.00			
मुख्य शीर्ष "7475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	Major Head "7475" Loans for Other General Economic Services				
मू.	O.	100000.00	..	..	..
पु.	R.	-100000.00			
मुख्य शीर्ष "7610" सरकारी सेवकों आदि को ऋण	Major Head "7610" Loans to Government Servants etc.				
मू.	O.	15000.00	18427.27	15863.83	-2563.44
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	3426.27			

(I) ₹605008.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹605000.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹605008.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹605000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4058" – "सरकारी मुद्रणालय – बजट मुद्रणालय के लिए मशीनों की खरीद" – ₹1000.00 लाख – संबंधित विनिर्माण फर्मों के विलयित हो जाने के कारण खरीद प्रक्रिया पूरी न होने के कारण।

(A) Major Head "4058" - "Government Presses – Purchase of Machines for Budget Press"- ₹1000.00 lakhs–due to non-completion of purchase process owing to merger of concerned manufacturing firms.

(खा) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – आईईएस अधिकारियों के लिए 90 रिहायशी यूनिटों का निर्माण" – ₹4000.00 लाख – भारतीय आर्थिक सेवा के लिए 90 रिहायशी यूनिटों के निर्माण की प्रक्रिया को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण।

(B) Major Head "4216" – "Government Residential Buildings-Other Housing-Construction of 90 dwelling units for IES officers" – ₹4000.00 lakhs – due to non-materialisation of process for construction of 90 dwelling units for Indian Economic Services.

(गा) मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश" –

(क) "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश – भारतीय कूटनीतिक एवं सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम (आईएसएसआईएफसी)" – ₹100000.00 लाख; और

(ख) "आरक्षित निधि को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि" – ₹100000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीमों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुईं।

(C) Major Head "5465" – "Investments in General Financial Institutions" -

(a) "Investments in Public Sector and Other Undertakings, Banks, etc. - Strategic and Social Infrastructure Finance Corporation of India (ISSIFC)" – ₹100000.00 lakhs; and

(b) "Transfer to Reserve Fund - National Investment Fund" – ₹100000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-finalisation of schemes.

(घा) मुख्य शीर्ष "5475" – "अन्य व्यय – नई स्कीमें" – ₹300000.00 लाख – नई स्कीमों को शुरू न किए जाने के कारण।

(D) Major Head "5475" –"Other Expenditure - New Schemes" – ₹300000.00 lakhs -due to non-taking off of new schemes.

(ङ) मुख्य शीर्ष "7475" – "अन्य ऋण – कर्ज की नई व्यवस्थाओं के अंतर्गत आईएमएफ को ऋण" – ₹100000.00 लाख – निधियों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण।

(E) Major Head "7475" –"Other Loans - Loan to IMF under New Arrangements to Borrow (NAB)" – ₹100000.00 lakhs - due to non-materialisation of funds.

(II) मुख्य शीर्ष "4046" – "स्वर्ण की खरीद – स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम, 2015" – ₹320000.00 लाख का प्रावधान पूरक अनुदान प्राप्त करके किया गया था जो, तथापि, लोगों और संस्थाओं की कम भागीदारी के कारण ₹34566.44 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "4046" – "Purchase of Gold - Gold Monetization Scheme 2015" - funds of ₹320000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant, which, however, remained unutlised to the extent of ₹34566.44 lakhs – due to less participation by people and institutions.

(III) मुख्य शीर्ष "4046" – "भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद – सिक्के" – ₹120731.70 लाख की बचत (₹280000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिक्कों के मांगपत्र में संशोधन करके कमी किए जाने और आरबीआई द्वारा सिक्कों की कम ढुलाई किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4046" – "Purchase of Coins from Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.(SPMCIL) - Coins" - saving of ₹120731.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹280000.00 lakhs) was due to downward revision of indent of coins and lesser lifting of coins by RBI and carrying over of reimbursement of claims to next financial year.

(IV) मुख्य शीर्ष "5475" – "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – अवसंरचना विकास व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के लिए सहायता" – ₹8488.20 लाख की बचत (₹9069.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्राधिकरणों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "5475" – "Financial Support for Infrastructure Development – Assistance for Infrastructure Development Viability Gap Funding" – saving of ₹8488.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9069.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the authorities.

(V) मुख्य शीर्ष "7610" – "कंप्यूटरों की खरीद के लिए अग्रिम – कंप्यूटरों तथा अन्य बाह्य उपकरणों की खरीद के लिए अग्रिम" – ₹1425.47 लाख की बचत (₹7476.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम मांगों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "7610" – "Advances for purchase of Computers – Advances for purchase of Computers and other peripherals" – saving of ₹1425.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7476.00 lakhs) was due to receipt of less demands.

4. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹34686.02 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹7.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

4.(I) The above savings were partly (₹34686.02 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹7.00 lakhs - under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों, बैंकों आदि में निवेश – राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि में निवेश" – ₹19999.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹19628.11 लाख था।

(A) Major Head "5465" – "Investments in General Financial Institutions – Investments in Public Sector and Other Undertakings, Banks, etc. – Investment into National Investment and Infrastructure Fund" – ₹19999.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹19628.11 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "5466" –

(क) "अफ्रीकी विकास बैंक – अफ्रीकी विकास बैंक को अंशदान" – ₹720.51 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹618.67 लाख था।

(B) Major Head "5466" –

(a) "African Development Bank - Subscription to African Development Bank" – ₹720.51 lakhs. Actual excess, however, was ₹618.67 lakhs.

(ख) "पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए यूरोपीय बैंक में निवेश – पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए यूरोपीय बैंक को अंशदान" – ₹4420.95 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1409.17 लाख था।

(b) "Investment in the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) - Subscription to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)" – ₹4420.95 lakhs. Actual excess, however, was ₹1409.17 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "7465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाएं" –

(C) Major Head "7465" - "General Financial Institutions" -

(क) "ऋण सं. 1871–आईएनडी प्राईवेट सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी II की अदायगी – एशियाई विकास बैंक के लिए अवसंरचना पट्टा और वित्तीय सेवाएं" – ₹1490.92 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1482.60 लाख था।

(a) "Repayment of loan No.1871-IND Private Sector Infrastructure Facility II-Infrastructure leasing and Financial Services to Asian Development Bank" – ₹1490.92 lakhs. Actual excess, however, was ₹1482.60 lakhs.

(ख) "ऋण की अदायगी – प्राईवेट सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी II – केएफडब्ल्यू को अवसंरचना पट्टा और वित्तीय सेवाएं" – ₹584.08 लाख।

(b) "Repayment of loan-Private Sector Infrastructure Facility II- Infrastructure Leasing and Financial Services to KFW" – ₹584.08 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष "7466" – "अफ्रीकी विकास निधि को ऋण – अफ्रीकी विकास बैंक को ब्रिज लोन" – ₹3598.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3554.21 लाख था।

(D) Major Head "7466" –"Loans to African Development Fund - Bridge Loan to African Development Fund (AfDF)" – ₹3598.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3554.21 lakhs.

(ङ) मुख्य शीर्ष "7610" – "मकान निर्माण अग्रिम – मंत्रालय एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" – ₹3872.56 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2303.81 लाख था।

(E) Major Head "7610" – "House Building Advances – Ministries and Union Territory Administrations" – ₹3872.56 lakhs. Actual excess, however, was ₹2303.81 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "5466" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(II) Savings were also offset by excess under Major head "5466" - under the following heads:-

(का) "अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास हेतु बैंक – अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास हेतु बैंक को अंशदान" – ₹31673.53 लाख का अधिक व्यय (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1.10 लाख के कुल प्रावधान की तुलना

(A) "Investments in International Bank for Reconstruction and Development – Subscription to the International Bank for Reconstruction and Development" – excess of ₹31673.53 lakhs(against the total sanctioned provision of ₹1.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh) was due to adoption of resolution w.e.f. October, 2018 by

में) पाँच समान किस्तों में देने के लिए भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 2018 से संकल्प को अपनाने के कारण हुआ।

Government of India to subscribe 5 equal installments.

(खा) "एशियाई विकास बैंक में निवेश – एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक को अंशदान" – ₹17784.23 लाख का अधिक व्यय (₹0.05 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹217555.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर परिवर्तन के कारण हुआ।

(B) "Investments in the Asian Development Bank – Subscription to Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)" – excess of ₹17784.23 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹217555.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh) was due to exchange rate variations.

(गा) "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (भारत का कोटा बढ़ाए जाने के मद्दे एसडीआर खरीद) को अंशदान" – ₹11435.44 लाख का अधिक व्यय (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹8400.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईएमएफ कोटा की प्रभावकारिता/14वें जीआरक्यू (कोटा की सामान्य समीक्षा) के परिणाम – स्वरूप होने वाले अंशदान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(C) "International Monetary Fund - Subscription to International Monetary Fund (SDR purchase against India's quota increase) – excess of ₹11435.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8400.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh) was due to requirement of additional funds towards subscriptions owing to effectiveness of the IMF Quota/consequent to the effective of 14th GRQ (General review of quota).

5. निर्भया निधि:–

'निर्भया निधि' की स्थापना 2013–14 के दौरान उन स्थायी उपायों/बचावों के वित्तपोषण के लिए की गई थी जिससे महिलाओं के बचाव और सुरक्षा में व्यापक वृद्धि होती है और जो काफी लंबे समय तक बने रहते हैं और प्रभावी होते हैं। इस निधि का उद्देश्य विभिन्न सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए विभिन्न उपायों को वित्तपोषित करना है, ताकि उनका बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। निधियां बजट प्रावधान के अनुसार भारत की समेकित निधि से राजस्व व्यय को स्थानांतरित की जाएगी। 'निर्भया निधि को अंतरण' के लिए बजटीय प्रावधान उन संबंधित अनुदान की मांगों जिनमें व्यय आबंटन किया गया है से किया जाएगा।

5. Nirbhaya Fund: -

The 'Nirbhaya Fund' was established during 2013-14 to be used to fund those enduring measures/interventions which substantially enhance the safety and security of women and are sustainable and effective over a long period of time. The purpose of the fund is to finance various initiatives taken by different Ministries/Departments of the government towards empowering girl children and women ensuring their safety and security. Funds will be transferred as per budget provisions from the Revenue Expenditure head from the consolidated Fund of India. The budgetary allocations for 'transfer of the Nirbhaya Fund' will be made from the respective Demands for Grants where expenditure allocations are made.

2018–19 के लिए निधि के लेखे इस प्रकार थे:–

The Account of the Fund for 2018-19 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	2574,27,76
प्राप्तियां	Receipt	550,00,00
अदायगियां	Payments	884,24,12
अंतशेष	Closing Balance	2240,03,64

6. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधिः–

'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' की स्थापना स्वच्छ ऊर्जा आदि में अनुसंधान से संबंधित विभिन्न नई परियोजनों को वित्त पोषण करने के लिए की गई थी। 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में उत्पादित कोयले पर ऊर्जा उपकर नाम की लेवी लगाने का प्रस्ताव किया गया। इसे दिनांक 22.06.2010 को गजट अधिसूचना संख्या 06–2010–स्वच्छ ऊर्जा उपकर में अधिसूचित किया गया था। स्वच्छ ऊर्जा उपकर की इस प्रस्तावित लेवी को कर राजस्व के रूप में वसूल किया जाना है और इस प्रकार सृजित हुई निधियों को आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाएगा। चिन्हित स्कीमों/नई परियोजनाओं पर व्यय का प्रावधान कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान की मांग में किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूलियां भी उसी कार्यात्मक व्यय शीर्ष के अंतर्गत की जाएगी ताकि स्कीमों पर व्यय और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूली का मिलान हो जाए।

2018–19 के लिए निधि के लेखे इस प्रकार थेः–

6. National Clean Energy Fund: -

The 'National Clean Energy Fund' was established to finance various new projects relating to researches in Clean Energy etc. In order to meet the objectives of 'National Clean Energy Fund' a levy called Energy Cess on coal produced in India was proposed. This was notified in Gazette Notification No. 06-2010 – Clean Energy Cessdt. 22.06.2010. The proposed levy of Clean Energy Cess is to be collected in the form of Tax Revenue and the funds so generated will be transferred to Reserve Fund. The provision for expenditure on identified schemes/new projects will be made in Demand for Grants of different Ministries/Departments under the functional Major Heads, The recoveries from the National Clean Energy Fund will also be made under the same functional expenditure head so the expenditure on the schemes and recovery from National Clean Energy Fund get matched.

The Account of the Fund for 2018-19 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1
प्राप्तियां	Receipt	0
अदायगियां	Payments	0
अंतशेष	Closing Balance	1

7. *गारंटी मोचन निधि :—*

इस निधि की स्थापना संघ सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं आदि को दी गई गारंटी, जब भी ऐसी गारंटी मांगी जाती है, के मोचन के लिए की गई थी। इस निधि को वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाने वार्षिक आबंटन द्वारा धन मुहैया कराया जाता है। जब गारंटी मांगी जाती है इस प्रकार के व्यय को संबंधित अनुदान के संबंधित कर्ज शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाए और निधि से वसूली को भी कर्ज शीर्ष के अंतर्गत ऋण प्रविष्टियों के रूप में लेखाबद्ध की जाएगी।

2018—19 के लिए निधि के लेखे इस प्रकार थे:—

7. *Guarantee Redemption Fund: -*

The fund was constituted for redemption of Guarantees given by the Union Government to Central Public Sector Undertakings, Financial Institutions etc., whenever such guarantees are invoked. The fund is fed by annual allocation to be made by Ministry of Finance. When the Guarantees are invoked, such expenditure may be shown under the concerned loan head of respective grant and recovery from the fund will also be accounted for under the loan head as deduct entry.

The Account of the Fund for 2018-19 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	4029,96,00
प्राप्तियां	Receipt	600,00,00
अदायगियां	Payments	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	4629,96,00